Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *30 मार्च, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर–स्पेशल युनिट इकाई द्वारा आज बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर को परिवादी से 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर–स्पेशल युनिट इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना बालोतरा द्वारा पकड़ा गई ट्रेक्टर ट्रोली को छोड़ने की एवज में चुतराराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बालोतरा द्वारा 10 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाशचन्द बिश्नोई** के सुपरविजन में जोधपुर–स्पेशल युनिट इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री अमराराम खोखर** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये चुतराराम पुत्र पुत्र रायमलराम निवासी सिदाणियों की ढाणी कदाउ तहसील/जिला बाड़मेर, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना बालोतरा जिला बाड़मेर को परिवादी 5 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।